संख्या-206/VI-2/2014-22(1)2013

प्रेषक,

डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग -2 देहरादून दिनांक : 30 मार्च, 2014

विषय :-विशेष आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत जनपद देहरादून में स्थित पवेलियन ग्राउण्ड में अवस्थापना का सृजन एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु धनराशि अमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-652/पवे0ग्रा0अव0पत्रा0/2013-14 दिनांक 12 नवम्बर, 2013 एवं संख्या-1247/पवे0ग्रा0अव0पत्रा0/2013-14 दिनांक 20 मार्च, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत पवेलियन ग्राउण्ड में अवस्थापना का सृजन एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन ₹533.82 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि ₹514.87 लाख (₹424.70 लाख निर्माण कार्यो हेतु तथा ₹90.17 लाख अधिप्राप्ति कार्य हेतु) के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में **₹200.00 लाख (रू0 दो करोड़)** मात्र की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में संगत लेखाशीर्षक से आहरित कर जिलाधिकारी, देहरादून के पी0एल0ए0 खाते में निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जमा करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- उक्त धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मितव्ययता को ध्यान में रखकर नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- पी0एल0ए0 से धनराशि के आहरण हेतु राज्य के वित्तीय संसाधन एवं वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिकोण से धनराशि फेज मैनर में वित्त विभाग की सहमति से आहरित कर व्यय की जायेगी, इस कार्य हेतु अनुबन्ध सम्बन्धित एजेन्सी/कार्यदायी संस्था से कराया जायेगा, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् दूसरी किश्त जारी की जायेगी।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013, में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं0-474/XXVII(7)/2008 दि0-15-12-08 के विहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

D:\2014-15\Sports\G.O..doc

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जिनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

6– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

8– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

9– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

10–कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व निर्माण कार्यो से इतर कार्यो/उपकरणों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

11–व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

12–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

13– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–20–पवेलियन ग्राउण्ड में निर्माण–00–24 वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–415(P)/XXVII–3/2013–14 दिनांक 29मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव

D:\2014-15\Sports\G.O..doc

पृष्ठांकन संख्या–206/VI-2/2014–22(1)2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. खेल मंत्री जी को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. जिलाधकारी, देहरादून।
4. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
7. महाप्रबंधक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम देहरादून।
8. जिला खेल अधिकारी, देहरादून।
9. एन0आई0सी0 देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Sports (S047)

आवंटन पत्र संख्या - **206/VI-2/2014-22(1)2013**

अनुदान संख्या - **011**

अलोटमेंट आई डी - **S1403110739**

HOD Name - Director Sports (2441)

आवंटन पत्र दिनांक -30-Mar-2014

1: लेखा शीर्षक 4202 - शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 03 - खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम

102 - खेलकूद स्टेडियम

00 - 20 -

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	0	20000000	20000000
	0	**20000000**	**20000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 20000000